मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ-9-3/2006/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—त्यागपत्र के पूर्व की सेवाओं का लाभ वेतन निर्धारण एवं अवकाश के प्रयोजनों के लिये दिये जाने बावत्.

संदर्भ.—इस विभाग के परिपत्र क्रमांक-1171-न.पं. 766-4-नि-1-72, भोपाल दिनांक 26-09-1972.

संदर्भित ज्ञाप क्रमांक 1171-न.पं.-766-4-नि-1-72, दिनांक 26-9-1972 की प्रति संलग्न है. उक्त ज्ञाप के पैरा 2 के आगे निम्नानुसार पैरा जोड़ा जाता है:—

पैरा 2 (ए) केन्द्र शासन के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 31-12-2003 तक नियुक्त हुये एवं जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के अन्तर्गत आते हैं. उनकी नियुक्ति यदि म. प्र. शासन के अंतर्गत दिनांक 01-01-2005 के उपरान्त निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाती है तो उन्हें म. प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 का लाभ दिया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(एस. एन. मिश्रा)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 1171-न.पं.-766-4-नि-1-72 भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर, 1972

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—त्यागपत्र के पूर्व की सेवाओं का लाभ वेतन निर्धारण एवं अवकाश के प्रयोजनों के लिये दिये जाने बावत्.

मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 65 के नीचे दिये गये जी.आय.ओ.2 के अनुसार सेवा से त्यागपत्र देने पर, यद्यपि उसके तुरंत पश्चात् पुनर्नियुक्ति हो जाती है, अवकाश के प्रयोजन के लिये पूर्व सेवाएं जप्त हो जाती है और पुनर्नियुक्ति पर पूर्व में की गई सेवा के फलस्वरूप अर्जित किया हुआ अवकाश समाप्त हो जाता है. भारत सरकार ने उनके मूलभूत नियम 65 के तहत यह निर्णय लिया है कि, जिन प्रकरणों में त्यागपत्र सिविल सर्विस रेग्युलेशन की धारा 418(बी) के अधीन होने से त्यागपत्र को त्यागपत्र नहीं माना जाता, ऐसे प्रकरणों में अवकाश कारणों के लिये त्यागपत्र की पूर्व सेवा निरंक मानी जावेगी. अत:, राज्य शासन ने भी निर्णय लिया है कि ऐसे त्यागपत्र के पूर्व की सेवाएं, जो कि सिविल सर्विस रेग्युलेशन की धारा 418(बी) के अधीन हो, अवकाश कारणों के लिये त्यागपत्र के पूर्व की सेवाएं निरंतर मानी जावेगी अर्थात् पूर्व में की गई सेवा संबंधी अवकाश का लेखा (बैलेंस) नई सेवा के शेष के हिसाब में जोड़ लिया जायेगा.

2. इसी प्रकार भारत सरकार ने उनके मूलभूत नियम 22 के अधीन यह निर्णय लिया है कि, ऐसे प्रकरणों में जहां शासकीय सेवक अपने ही विभाग में अपना (शासन के अधीन) अन्य विभागों में किसी पद के लिए योग्य मार्ग द्वारा आवेदन-पत्र देते हैं और यदि उनका चयन उस पद के लिये हो जाता है, किन्तु प्रशासनिक कारणों से उन्हें अपने पूर्व पद से त्यागपत्र देने के लिये कहा जाए तो, त्यागपत्र के पूर्व की सेवाओं का लाभ वेतन निर्धारण के लिये, यदि नियमों के अन्तर्गत अन्यथा देय हो तो, त्यागपत्र को एक तकनीकी औपचारिकता मानते हुए किया जाए. भारत सरकार द्वारा लिये गये इस निर्णय पर विचार कर राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि राज्य शासन के अधीन ऐसे शासकीय सेवक जो कि अपने ही द्वारा (राज्य शासन के अधीन) अन्य विभागों में किसी पद के लिये उचित माध्यम से, आवेदन-पत्र देते हैं और यदि उनका चयन आवेदित पद पर हो जाता है, किन्तु प्रशासनिक कारणों से यदि उन्हें अपने पूर्व पद का त्यागपत्र देने को कहा जाता है तो त्यागपत्र को एक तकनीकी औपचारिकता मानते हुए, उन्हें पूर्व सेवाओं का लाभ, अन्यथा नियमों के अन्तर्गत देय हो तो, वेतन निर्धारण के लिये भी दिया जायेगा. ऐसे प्रकरणों में वेतन, मूलभूत नियम 27 का उपयोग कर, निर्धारित किया जायेगा.

3. इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त नियम के मामले में त्यागपत्र मंजूर करने के आदेशों में यह बात स्पष्टत: बताई जाना जानी चाहिये कि कर्मचारी ने अन्य नियुक्ति में कार्यग्रहण करने के लिये उचित अनुमति लेकर, त्यागपत्र दिया है और उसे त्यागपत्र की पूर्व सेवाओं का लाभ मिलेगा. इन आदेशों का विवरण, उपयुक्त प्रमाणीकरण सहित, संबंधित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में नोट किया जाना चाहिये. इसके लिये अलग से मंजूरी जारी करना आवश्यक नहीं है.

4. इन निर्णयों को मध्यप्रदेश मूलभूत नियमों में सम्मिलित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(देवी प्रसाद)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.